संख्या–287 / 60–3–17–13(12) / 2015

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–445 / 60–3–2016–13(12) / 2015, दिनांक 04.05.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान संख्या–49 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष मे मुख्य लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत उ0प्र0 महिला सम्मान कोष के उपलेखाशीर्ष के मानक मद–15–गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल आदि की खरीद– के मद में प्राविधानित बजट धनराशि रू0 3.00 लाख के सापेक्ष अवशेष कुल रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में जो व्यय किया जाय वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों / आदेशों के अनुसार एवं समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुवल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

Sri Tandan/Go

6– विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–बी–1–1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

7– उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–49 के आयोजनागत पक्ष में मुख्य लेखा शीर्षक–"2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–आयोजनागत–103–महिला कल्याण–10–उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष–15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल" आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2016 /बी–1–746/दस–2016–231/2016, दिनांक 22.03.2016 में दिये गये निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–287 (1)/60–3–17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 (नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर), लखनऊ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
6– राज्य (योजना आयोग) अनुभाग–2
7– विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, लखनऊ।
8– कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Sri Tandan/Go